न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010024952024

Sessions Case/313/2024
State of U.P. Vs. Sahajeb @ Savej @ Doda
सत्र परीक्षण संख्या 313/2024

सरकार बनाम सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा आदि
मु0अ0सं0 122/2024
अर्न्तगत धारा 363,376–डी,506 भा0द0सं0
एवं 5–जी/6 पोक्सो एक्ट, 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना– हापुड नगर ,जिला हापुड।

10.07.2026:

पत्रावली दोषसिद्ध अभियुक्तगण सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा, सलमान,नदीम,दानिश उर्फ बावला व मौहम्मद फतेह के सम्बन्ध में दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा, सलमान,नदीम,दानिश उर्फ बावला व मौहम्मद फतेह न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया ।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त **सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा** ने वादिनी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''ई'',जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, को बहला फुसला कर उसकी विधिक संरक्षकता से उसका व्यपहरण करने के बाद सहअभियुक्तगण **सलमान, नदीम, दानिश उर्फ बावला व मौहम्मद फतेह** के साथ मिलकर पीडिता का सामूहिक बलात्कार/ सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करने तथा जान से मारने की धमकी देने का अपराध किया है। गंभीर अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम कठोर दण्ड देने का अनुरोध किया गया ।

दोष सिद्ध अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वे गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं । परिवार में कमाने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है , अतः उन्हे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये ।

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.10 16:50:20 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions Court

यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि धारा 42 पोक्सो अधिनियम में प्रावधानित है कि–

आनुकल्पिक दंड– जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 166 क, धारा 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370 क, धारा 375, धारा 376, धारा 376–क, धारा 376 कख, धारा 376–ख, धारा 376–ग, धारा 376–घ, धारा 376–घक, धारा 376 घख, धारा 376–ड, धारा 509 के अधीन या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67–ख के अधीन , भी दण्डनीय अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियन के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)के अधीन मात्रा में गुरुतर है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण का कृत्य धारा 363, 376–डी, 506 भा0द0ंस0, 3(2)(v)एस0सी0एस0टी0एक्ट के अतिरिक्त धारा 5–जी/6 पोक्सो एक्ट के तहत भी आता है। धारा 376–डी भा0द0ंस0 के अनुकल्पिक दंड का प्रावधान धारा 5–जी/6 पोक्सो एक्ट के विकल्प में है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उपरोक्त दोनों अपराध समरूप (**Analogous**) व सदृश्य है। ऐसी स्थिति में धारा 42 पोक्सो अधिनियम के अनुसार अधिक दंड से दंडनीय दंड हेतु अभियुक्त को दंडित किये जाने का प्रावधान है। चूंकि पोक्सो अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु पारित विशिष्ट अधिनियम है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा धारा 363, 506 भा0द0ंस0,5–जी/6पोक्सोएक्ट, 3(2)(v)एस0सी0एस0टी0एक्ट,एवं अभियुक्तगण सलमान, नदीम,दानिश उर्फ बावला,मौहम्मद फतेह धारा 506 भा0द0ंस0, 5–जी/6 पोक्सो एक्ट, 3(2)(v)एस0सी एस0टी0 एक्ट के अर्न्तगत दण्डित किये जाने योग्य है।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त **सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा** द्वारा वादिनी की अव्यस्क पुत्री/पीडिता ''ई'',जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, को बहला फुसलाकर उसकी विधिक संरक्षकता से उसका व्यपहरण करने के बाद सहअभियुक्तगण **सलमान,नदीम, दानिश उर्फ बावला व मौहम्मद फतेह** के साथ मिलकर पीडिता का सामूहिक बलात्कार/सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है । अभियुक्तगण द्वारा यह राक्षसी प्रवृति का

आपराधिक कृत्य किया गया है । अभियुक्तगण के द्वारा किए गए इस अत्यन्त जघन्य और राक्षसी प्रवृति के गंभीर प्रकृति के आपराधिक कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए वह न्यायालय की सहानुभूति का पात्र नहीं हो सकते ।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त **सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा** को धारा 363 भा0द0ंस0, के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास से, एवं अभियुक्तगण **सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा सलमान,नदीम, दानिश उर्फ बावला व मौहम्मद फतेह प्रत्येक** धारा 506 भा0द0ंस0, के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास से, धारा 5–जी/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/– (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से , धारा 3(2)(v)एस0सी0एस0टी0एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000/– (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से ,दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

1. सत्र परीक्षण संख्या 313/2024 मु0अ0सं0 122/2024, थाना हापुड नगर,जिला हापुड में अभियुक्त **सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा** को धारा 363 के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास दण्डित किया जाता है ।

2. अभियुक्तगण **सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा सलमान,नदीम, दानिश उर्फ बावला व मौहम्मद फतेह प्रत्येक** धारा 506 भा0द0ंस0, के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है ।

3. अभियुक्तगण **सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा सलमान,नदीम, दानिश उर्फ बावला व मौहम्मद फतेह प्रत्येक** धारा 5–जी/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/– (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा ।

4. अभियुक्तगण **सहाजेब उर्फ सावेज उर्फ डोडा सलमान,नदीम, दानिश उर्फ बावला व मौहम्मद फतेह प्रत्येक** 3(2)(v)एस0सी0एस0टी0एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000/– (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना

होगा ।

सभी सजाए एक साथ चलेंगी । अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि वर्तमान सजावधि में समायोजित की जाये।अभियुक्तगण का सजायाबी वारण्ट बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु जिला कारागार गाजियाबाद भेजा जाए। अभियुक्तगण द्वारा अदा किये गये समस्त अर्थदण्ड की धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देय होगी।

पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास हेतु अंकन 1,50,000/ – रूपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देय होगी।

इस निर्णय/दण्डादेश की एक प्रतिलिपि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये कि यदि जिला विधिकसेवा प्राधिकरण, हापुड़ के पास फण्ड उपलब्ध न हो तो जिलाधिकारी, हापुड़ को इस निर्णय की एक प्रति इस आशय से प्रेषित की जाए कि वह राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर पीड़िता को प्रदान की जाए तथा इस संबंध में न्यायालय को भी सूचित किया जाए। निर्णय व दण्डादेश की प्रति अभियुक्तगण को निशुल्क प्रदान की जाये ।

दिनॉकः 10.07.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड़।

आज यह निर्णय/दण्डादेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनॉकः 10.07.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड़।